




INDIAN

POLITY

BY – SUJEET BAJPAI SIR



6. Right to Right to move the Supreme Court for the enforcement of constitutional fundamental rights including the writs of (i) *habeas corpus*, remedies (ii) *mandamus*, (iii) prohibition, (iv) *certiorari*, and (v) *quo war-rento* (Article 32). (Article 32)



(d) कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता (अनुच्छेद 28)।

5. संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार
(अनुच्छेद 29-30)

- (a) अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा (अनुच्छेद 29)।
- (b) शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार (अनुच्छेद 30)।

6. सांविधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार। इसमें शामिल याचिकाएं हैं—(i) बंदी प्रत्यक्षीकरण, (ii) परमादेश, (iii) प्रतिषेध, (iv) उत्प्रेषण, (v) अधिकार पृच्छा (अनुच्छेद 32)।

WRIT

HABEAS CORPUS

MANDAMUS

PROHIBITION

CERTIORARI

QUO-WARRANTO

हैडॉन आरु
Bulwark of
Individual
liberty

We Command | by Court

deny

We Certify


what Authority

Higher
Court

⇓
Lower
Court

By

INDIAN POLITY – 5 WRITS



Right to Constitutional Remedies

Habeas Corpus

- ❖ It is a Latin term which literally means 'to have the body of'.
- ❖ It is an order issued by the court to a person who has detained another person, to produce the body of the latter before it.

बंदी प्रत्यक्षीकरण

- ❖ यह एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है 'का शरीर होना'।
- ❖ यह एक ऐसे व्यक्ति को अदालत द्वारा जारी किया गया आदेश है जिसने किसी अन्य व्यक्ति को हिरासत में लिया है, इसके पहले बाद के शव को पेश करना है।

The court then examines the cause and legality of detention.

It would set the detained person free, if the detention is found to be illegal.

Thus, this writ is a bulwark of individual liberty against arbitrary detention.

- ❖ इसके बाद अदालत नजरबंदी के कारण और वैधता की जांच करती है ।
- ❖ यदि हिरासत अवैध पाई जाती है तो यह हिरासत में लिए गए व्यक्ति को मुक्त कराएगा ।
- ❖ इस प्रकार, यह रिट मनमाने ढंग से नजरबंदी के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बांध है ।

The writ of habeas corpus can be issued against both public authorities as well as private individuals.

The writ, on the other hand, is not issued where the

(a) detention is lawful,

(b) the proceeding is for contempt of a legislature or a court,

(c) detention is by a competent court, and

(d) detention is outside the jurisdiction of the court.

बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ-साथ निजी व्यक्तियों दोनों के खिलाफ जारी की जा सकती है ।

दूसरी ओर, रिट जारी नहीं की जाती है जहां

(क) निरोध वैध है,

(ख) कार्यवाही विधायिका या न्यायालय की अवमानना के लिए है,

(ग) निरोध एक सक्षम न्यायालय द्वारा है, और (घ) निरोध न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

Mandamus

It literally means 'we command'.

It is a command issued by the court to a public official asking him to perform his official duties that he has failed or refused to perform.

परमादेश

इसका शाब्दिक अर्थ है 'हम आदेश'।

यह एक सरकारी अधिकारी को अदालत द्वारा जारी आदेश है जिसमें उनसे अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए कहा गया है कि वह असफल रहे हैं या करने से इनकार कर दिया है।

It can also be issued against any public body, a corporation, an inferior court, a tribunal or government for the same purpose.

The writ of mandamus cannot be issued:

- (a) against a private individual or body;**
- (b) to enforce departmental instruction that does not possess statutory force;**

इसे किसी भी सार्वजनिक निकाय, निगम, अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण या सरकार के खिलाफ भी इसी उद्देश्य के लिए जारी किया जा सकता है।

मैंडमस की रिट जारी नहीं की जा सकती:

- (क) एक निजी व्यक्ति या शरीर के खिलाफ;
- (ख) विभागीय निर्देश लागू करने के लिए जिसके पास सांविधिक बल नहीं है;

- (c) when the duty is discretionary and not mandatory;**
- (d) to enforce a contractual obligation;**
- (e) against the president of India or the state governors;
and**
- (f) against the chief justice of a high court acting in
judicial capacity.**

- (ग) जब कर्तव्य विवेकाधीन होता है और अनिवार्य नहीं होता है;
- (घ) संविदात्मक बाध्यता लागू करना;
- (ङ) भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपालों के विरुद्ध; और
- (च) न्यायिक हैसियत से कार्य करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ ।

Prohibition

Literally, it means ‘to forbid’.

It is issued by a higher court to a lower court or tribunal to prevent the latter from exceeding its jurisdiction or usurping a jurisdiction that it does not possess.

प्रतिषेध

इसका अर्थ है 'मना करना' ।

यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायाधिकरण को जारी किया जाता है ताकि बाद को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक होने से रोका जा सके या उस क्षेत्राधिकार को हड़प लिया जा सके जो उसके पास नहीं है ।

Thus, unlike mandamus that directs activity, the prohibition directs inactivity.

The writ of prohibition can be issued only against judicial and quasi-judicial authorities.

It is not available against administrative authorities, legislative bodies, and private individuals or bodies.

इस प्रकार, गतिविधि को निर्देशित करने वाले मंडमस के विपरीत, निषेध निष्क्रियता को निर्देशित करता है।

निषेध की रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के खिलाफ जारी की जा सकती है ।

यह प्रशासनिक प्राधिकारियों, विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के विरुद्ध उपलब्ध नहीं है ।

Certiorari

In the literal sense, it means ‘to be certified’ or ‘to be informed’.

It is issued by a higher court to a lower court or tribunal either to transfer a case pending with the latter to itself or to squash the order of the latter in a case.

- ❖ सर्टिफिकेट शब्दिक अर्थों में, इसका अर्थ है 'प्रमाणित होना' या 'सूचित किया जाना' ।
- ❖ यह एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या अधिकरण को जारी किया जाता है या तो बाद में लंबित मामले को स्थानांतरित करने के लिए या किसी मामले में बाद के आदेश को स्वैच्छिक करने के लिए।

It is issued on the grounds of excess of jurisdiction or lack of jurisdiction or error of law.

Thus, unlike prohibition, which is only preventive, certiorari is both preventive as well as curative.

यह क्षेत्राधिकार की अधिकता या क्षेत्राधिकार की कमी या कानून की त्रुटि के आधार पर जारी किया जाता है ।

इस प्रकार, निषेध के विपरीत, जो केवल निवारक है, प्रमाणितकर्ता निवारक और उपचारात्मक दोनों है।

Previously, the writ of certiorari could be issued only against judicial and quasi-judicial authorities and not against administrative authorities.

However, in 1991, the Supreme Court ruled that the certiorari can be issued even against administrative authorities affecting rights of individuals.

Like prohibition, certiorari is also not available against legislative bodies and private individuals or bodies.

पहले, सर्टिटोरी की रिट केवल न्यायिक और अर्ध-न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी की जा सकती थी न कि प्रशासनिक प्राधिकारियों के विरुद्ध ।

हालांकि, १९९१ में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ भी सर्टिटोरी जारी की जा सकती है ।

निषेध की तरह, प्रमाणात्मक निकायों और निजी व्यक्तियों या निकायों के खिलाफ भी प्रमाणात्मक रूप से उपलब्ध नहीं है ।

Quo-Warranto

In the literal sense, it means ‘by what authority or warrant’.

It is issued by the court to enquire into the legality of claim of a person to a public office.

Hence, it prevents illegal usurpation of public office by a person.

यथास्थिति-वारंटो शाब्दिक अर्थों में, इसका अर्थ है ' किस प्राधिकार या वारंट द्वारा ' ।

यह अदालत द्वारा किसी व्यक्ति के सार्वजनिक पद पर दावे की वैधानिकता की जांच करने के लिए जारी किया जाता है।

इसलिए, यह एक व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद की अवैध रूप से हड़पना रोकता है।


The writ can be issued only in case of a substantive public office of a permanent character created by a statute or by the Constitution.

It cannot be issued in cases of ministerial office or private office.

Unlike the other four writs, this can be sought by any interested person and not necessarily by the aggrieved person.

यह रिट केवल किसी संविधि या संविधान द्वारा बनाए गए स्थायी चरित्र के मूल सार्वजनिक पद के मामले में ही जारी की जा सकती है। इसे मंत्री पद या निजी कार्यालय के मामलों में जारी नहीं किया जा सकता।


अन्य चार रिट के विपरीत, यह किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा मांगा जा सकता है और जरूरी नहीं कि पीड़ित व्यक्ति द्वारा।



DPSP
↓
Art-38-51

Source: Ireland

① Justiciable
वाक्येय



① Non-Justiciable
वाक्येय

② Political Justice

↳ (Social + Economic Justice)

The Directive Principles of State Policy are enumerated in Part IV of the Constitution from Articles 36 to 51.

The framers of the Constitution borrowed this idea from the Irish Constitution of 1937, which had copied it from the Spanish Constitution.

राज्य नीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों की गणना संविधान के भाग-4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक की जाती है।

संविधान निर्माताओं ने इस विचार को १९३७ के आयरिश संविधान से उधार लिया था, जिसने इसे स्पेन के संविधान से कॉपी किया था ।

Dr B R Ambedkar described these principles as ‘novel features’ of the Indian Constitution.

Granville Austin has described the Directive Principles and the Fundamental Rights as the ‘Conscience of the Constitution’.

डॉ बी आर अंबेडकर ने इन सिद्धांतों को 'भारतीय संविधान की विशिष्ट विशेषताएं' बताया ।

ग्रैनविले ऑस्टिन ने निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों को 'संविधान की आत्मा' बताया है ।

Features of the Directive Principles

1.

The phrase ‘Directive Principles of State Policy’ denotes the ideals that the State should keep in mind while formulating policies and enacting laws.

निर्देशक सिद्धांतों की विशेषताएं

1.

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वाक्यांश उन आदर्शों को दर्शाता है जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए ।

2.

They embody the concept of a 'welfare state' and not that of a 'police state', which existed during the colonial era.

2.

वे एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतीक हैं न कि ' पुलिस राज्य ' का, जो औपनिवेशिक युग के दौरान अस्तित्व में था ।

3.

The Directive Principles are non-justiciable in nature, that is, they are not legally enforceable by the courts for their violation.

3.

नीति निर्देशक सिद्धांत गैर-न्यायोचित प्रकृति के हैं, अर्थात् वे न्यायालयों द्वारा उनके उल्लंघन के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य नहीं हैं ।

4.

The Directive Principles, though non-justiciable in nature, help the courts in examining and determining the constitutional validity of a law.

4.

निर्देशक सिद्धांत, हालांकि गैर-न्यायोचित प्रकृति के हैं, अदालतों को किसी कानून की संवैधानिक वैधता की जांच करने और उसका निर्धारण करने में मदद करते हैं ।

Classification of the Directive Principles

The Constitution does not contain any classification of Directive Principles. However, on the basis of their content and direction, they can be classified into three broad categories, viz, SOCIALISTIC, GANDHIAN AND LIBERAL-INTELLECTUAL.

निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण


संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं है ।
हालांकि, उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर, उन्हें तीन व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, अर्थात् समाजवादी, गांधीवादी और उदार-बौद्धिक ।

7.

To promote international peace and security and maintain just and honourable relations between nations; to foster respect for international law and treaty obligations, and to encourage settlement of international disputes by arbitration (Article 51).

**Article
No.**

Subject Matter

- 
- | | |
|-----|---|
| 36. | Definition of State |
| 37. | Application of the principles contained in this part |
| 38. | State to secure a social order for the promotion of welfare of the people |
| 39. | Certain principles of policy to be followed by the State |

39A. Equal justice and free legal aid

40. Organisation of village panchayats

41. Right to work, to education and to public assistance in certain cases

42. Provision for just and humane conditions of work and maternity relief

43. Living wage, etc., for workers

43A. Participation of workers in management of industries

43B. Promotion of co-operative societies

44. Uniform civil code for the citizens

45. Provision for early childhood care and education to children below the age of six years

DR
NALSA

Gandhi ji

Law

GOA

युक्तिकरिता

Criminal law

Civil law

- 46. Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections
- 47. Duty of the State to raise the level of nutrition and the standard of living and to improve public health
- ~~48.~~ Organisation of agriculture and animal husbandry
- ~~48A.~~ Protection and improvement of environment and safeguarding of forests and wildlife
- 49. Protection of monuments and places and objects of national importance
- ~~50.~~ Separation of judiciary from executive
- ~~51.~~ Promotion of international peace and security

अनुच्छेद संख्या	विषय-वस्तु
36.	राज्य की परिभाषा
37.	इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करना।
38.	राज्य द्वारा जन-कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना
39.	राज्य द्वारा अनुसरण किये जाने वाले कुछ नीति-सिद्धांत
39.A	समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता
40.	ग्राम पंचायतों का संगठन
41.	कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तथा सार्वजनिक सहायता



- 42. न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान।
- 43. कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि
- 43.A उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों को सहभागिता
- 43.B. सहकारी समितियों को प्रोत्साहन
- 44. नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता
- 45. बालपन-पूर्व देखभाल तथा 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा
- 46. अनु. जाति, अनु. जनजाति का कमजोर वर्गों के शैक्षिक, तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देना

47. पोषाहार का स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने तथा जन-स्वास्थ्य की स्थिति बेहतर करने सम्बन्धी सरकार का कर्तव्य।
48. कृषि एवं पशुपालन का संगठन
- 48.A पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्द्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा
49. स्मारकों, तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं का संरक्षण
50. न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव
51. अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन



ਫੰਡੇ
ਫੰਡੇ
ਫੰਡੇ

Fundamental

↳ Source: ਲੋਕਿਕ
ਯੁਨਿਯਨ

Duties

42nd Amend.
1976

↳ Orig $\Rightarrow \frac{10}{10}$
Present $\Rightarrow \textcircled{11}$

Protect

Preserve

Harmony

Unity

FUNDAMENTAL DUTIES


- 1** To abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the national flag and the national anthem
- 2** To cherish and follow noble ideals, which inspired our national struggle for freedom
- 3** To uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India
- 4** To defend the country and render national service when called upon to do so
- 5** To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women
- 6** To value and preserve the rich heritage of our composite culture
- 7** To protect and improve the natural environment, including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures
- 8** To develop scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform
- 9** To safeguard public property and to abjure violence
- 10** To strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement
- 11** Who is a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen

भारतीय संविधान


मौलिक कर्तव्य


1. प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।
2. स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें।
3. भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें।
4. देश की रक्षा करें।
5. भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें।
6. हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें।
11. माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

बills \Rightarrow LS \oplus RS \oplus (President)
Bill PASS \oplus Sign \Rightarrow Act



— PARLIAMENT OF INDIA —





द्विपक्षीय

मंसद


unicam.

Bicam.

6

$$\frac{UP + BR}{MH + KA}$$
Tel. + Ald.

Parliament of India



The Parliament is the legislative organ of the Union government.

It occupies a pre-eminent and central position in the Indian democratic political system due to adoption of the parliamentary form of government, also known as **'Westminster' model of government.**

↑
Britain
असदर लोड दन शी Start

संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है।

यह सरकार के संसदीय रूप को अपनाने के कारण भारतीय लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में एक पूर्व-प्रख्यात और केंद्रीय पद पर है, जिसे सरकार के 'वेस्टमिंस्टर' मॉडल के रूप में भी जाना जाता है ।

Articles 79 to 122 in Part V of the Constitution deal with the organisation, composition, duration, officers, procedures, privileges, powers and so on of the Parliament.

संविधान के भाग V में अनच्छेद 79 से 122 संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियाँ आदि के साथ संसद के साथ व्यवहार करते हैं।

Under the Constitution, the Parliament of India consists of three parts viz, the President, the Council of States and the House of the People.

In 1954, the Hindi names 'Rajya Sabha' and 'Lok Sabha' were adopted by the Council of States and the House of People respectively.

संविधान के तहत भारत की संसद में तीन भाग होते हैं जैसे राष्ट्रपति, राज्य परिषद और जनता का घर ।

1954 में राज्य परिषद और जन सभा द्वारा क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा नाम अपनाए गए।

The parliamentary form of government emphasises on the interdependence between the legislative and executive organs.

Hence, we have the 'President-in-Parliament' like the 'Crown-in-Parliament' in Britain.

सरकार का संसदीय रूप विधायी और कार्यकारी अंगों के बीच परस्पर निर्भरता पर जोर देता है ।

इसलिए, हमारे पास ब्रिटेन में क्राउन-इन-पार्लियामेंट की तरह ' राष्ट्रपति-इन-पार्लियामेंट ' है ।

The presidential form of government, on the other hand, lays stress on the separation of legislative and executive organs.

Hence, the American president is not regarded as a constituent part of the Congress.

दूसरी ओर, सरकार का राष्ट्रपति रूप विधायी और कार्यकारी अंगों के अलग होने पर जोर देता है ।

इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति को कांग्रेस का घटक हिस्सा नहीं माना जाता ।

Composition of Rajya Sabha ✓

The maximum strength of the Rajya Sabha is fixed at 250, out of which, 238 are to be the representatives of the states and union territories (elected indirectly) and 12 are nominated by the president.

राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 तय है, जिसमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए) के प्रतिनिधि होने हैं और 12 राष्ट्रपति मनौनीत हैं।

At present, the Rajya Sabha has 245 members. Of these, 229 members represent the states, 4 members represent the union territories and 12 members are nominated by the president.

The Fourth Schedule of the Constitution deals with the allocation of seats in the Rajya Sabha to the states and union territories.

फिलहाल राज्यसभा में 245 सदस्य हैं।

इनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

संविधान की चौथी अनुसूची राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है।

RR

Doc | Type of Art

The president nominates 12 members to the Rajya Sabha from people who have special knowledge or practical experience in **ART, LITERATURE, SCIENCE AND SOCIAL SERVICE.**

राष्ट्रपति कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवा में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों से 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करते हैं ।

The rationale behind this principle of nomination is to provide eminent persons a place in the Rajya Sabha without going through the process of election.

It should be noted here that the American Senate has no nominated members.

नामांकन के इस सिद्धांत के पीछे तर्क यह है कि चुनाव की प्रक्रिया से गुजरे बिना प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा में जगह प्रदान की जाए।

यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अमेरिकी सीनेट में कोई मनोनीत सदस्य नहीं है ।

Composition of Lok Sabha

The maximum strength of the Lok Sabha is fixed at 552.

Out of this, 530 members are to be the representatives of the states, 20 members are to be the representatives of the union territories and 2 members are to be nominated by the president from the Anglo-Indian community.

लोकसभा की संरचना लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 तय है। इसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि होने हैं, 20 सदस्यों को केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधि होना है और 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन समुदाय से राष्ट्रपति मनोनीत किया जाना है।

At present, the Lok Sabha has 545 members. Of these, 530 members represent the states, 13 members represent the union territories and 2 Anglo-Indian members are nominated by the President.

वर्तमान में लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 2 एंग्लो-इंडियन सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं।

Term of members of

RS = 6 yrs

Duration of Two Houses

काल

Term = No term

Duration of Rajya Sabha:

The Rajya Sabha (first constituted in 1952) is a continuing chamber, that is, it is a permanent body and not subject to dissolution.

राज्यसभा की अवधि:

राज्यसभा (पहली बार 1952 में गठित) एक सतत कक्ष है, अर्थात् यह एक स्थायी निकाय है।

However, one-third of its members retire every second year.

Their seats are filled up by fresh elections and presidential nominations at the beginning of every third year.

हालांकि इसके एक तिहाई सदस्य हर दूसरे साल रिटायर होते हैं।
उनकी सीटें हर तीसरे साल की शुरुआत में नए चुनाव और राष्ट्रपति पद के नामांकन से भरी जाती हैं।

The retiring members are eligible for re-election and renomination any number of times.

The Constitution has not fixed the term of office of members of the Rajya Sabha and left it to the Parliament.

सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य ों को फिर से चुनाव और पुनर्नवितेशन के लिए पात्र हैं। संविधान ने राज्यसभा के सदस्यों के पद का कार्यकाल तय नहीं किया है और इसे संसद पर छोड़ दिया है।

Accordingly, the Parliament in the Representation of the People Act (1951) provided that the term of office of a member of the Rajya Sabha shall be six years.

The act also empowered the president of India to curtail the term of members chosen in the first Rajya Sabha.

तदनुसार, जनप्रतिनिधित्व कानून (1951) में संसद ने यह प्रावधान किया कि राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि छह वर्ष होगी।

इस अधिनियम ने भारत के राष्ट्रपति को पहली राज्यसभा में चुने गए सदस्यों के कार्यकाल में कटौती करने का अधिकार भी दिया ।

Duration of Lok Sabha

Unlike the Rajya Sabha, the Lok Sabha is not a continuing chamber.

Its normal term is five years from the date of its first meeting after the general elections, after which it automatically dissolves.

लोकसभा की अवधि राज्यसभा के विपरीत लोकसभा का कोई सदन जारी नहीं है।

इसका सामान्य कार्यकाल आम चुनाव के बाद अपनी पहली बैठक की तारीख से पांच साल का होता है, जिसके बाद यह अपने आप घुल जाता है।

However, the President is authorised to dissolve the Lok Sabha at any time even before the completion of five years and this cannot be challenged in a court of law.

हालांकि राष्ट्रपति पांच साल पूरे होने से पहले ही किसी भी समय लोकसभा भंग करने के लिए अधिकृत हैं और इसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती।

Further, the term of the Lok Sabha can be extended during the period of national emergency be a law of Parliament for one year at a time for any length of time.

However, this extension cannot continue beyond a period of six months after the emergency has ceased to operate.

इसके अलावा, राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के दौरान लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है संसद का कानून किसी भी समय एक समय में एक वर्ष के लिए होता है।

हालांकि, आपातकाल के संचालन के बाद यह विस्तार छह महीने की अवधि से आगे जारी नहीं रह सकता ।

NOTE:

The term of the fifth Lok Sabha that was to expire on 18 March, 1976, was extended by one year upto 18 March, 1977 by the House of the People (Extension of Duration) Act, 1976.

It was extended for a further period of one year up to 18 March, 1978 by the House of the People (Extension of Duration) Amendment Act, 1976.

However, the House was dissolved on 18 January 1977, after having been in existence for a period of **Five Years, 10 Months And Six Days.**

नोट:

पांचवीं लोकसभा का कार्यकाल जो 18 मार्च, 1976 को समाप्त हो रहा था, उसे हाउस ऑफ पीपल (अवधि का विस्तार) अधिनियम, 1976 द्वारा एक वर्ष के लिए बढ़ाकर 18 मार्च, 1977 कर दिया गया था।

इसे हाउस ऑफ पीपल (अवधि का विस्तार) संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा 18 मार्च, 1978 तक एक वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था।

तथापि, पांच वर्ष, 10 महीने और छह दिन की अवधि तक अस्तित्व में रहने के बाद 18 जनवरी 1977 को सभा को भंग कर दिया गया ।